शामिल नहीं की गई थी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुसार इन 5 नई परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएं ही ऋण प्राप्त करने की पात्र थीं। अतः राज्य को 93.00 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता पहले ही इस कार्यक्रम में शामिल की गई 5 चालू परियोजनाओं के लिए अनुमोदित की गई थी, इसके विपरीत 76.50 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। 16.50 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी नहीं की जा सकी चूंकि राज्य ने 198-99 के दौरान बराबर-बराबर का खर्च नहीं किया था और वह धनराशि समाप्त हो गयी। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के मानकों के अनुसार राज्य सरकारों को अधिक परियोजनाओं पर थोड़े-थोड़े संसाधन खर्च करने की बजाए कम परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सरदार सरोवर परियोजना की बढ़ती निर्माण लागत

2777. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा सरदार सरोवर परियोजना की वास्तविक अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) क्या सिकी मूलभूत अपेक्षित निर्माण-लागत अधिकतम हो गई है और वर्तमान में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान सरकारों के बीच मतभेद होने और तालमेल के अभाव के कारण इस परियोजना को पूरा करना असंभव हो गया है; और

कृषि मंत्रालय में रज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं॰ 314/94 में 18 फरवरी, 1999 को एक अंतरिम आदेश पारित किया जिसमें सरदार सरोवर बांध की सुरक्षा के लिए अपेक्षित हम्पों को छोड़कर बांध की ऊंचाई ई॰एल॰ 85 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी गई। गुजरात सरकार ने तदनुसार 19 फरवरी, 1999 से सरदार सरोवर बांध पर कार्य शुरू कर दिया है।

(ख) सरदार सरोवर परियोजना पर निर्माण कार्य 6,406.04 करोड़ रुपये को अनुमोदित अनुमानित लागत (1986-87) के मूल्य स्तर पर) से 24 अप्रैल, 1987 को शुरू किया गया था और परियोजना का संशोधित आंकलन गुजरात सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। परियोजना को निधियों के मुख्य स्त्रोत गुजरात सरकार द्वारा किया गया बजटीय प्रावधान गुजरात सरकार द्वारा किए गए खर्च के विरूद्ध नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार निर्धारित भागीदार राज्यों से प्राप्त सरकार / सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा निधिया जुटाना है। इस परियोजना को विश्व बैंक ऋण के बकाया शेष के स्थान पर भारत सरकार से केन्द्रीय ऋण सहायता और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अंतर्गत सहायता भी प्राप्त हो रही है।

(ग) और (घ) परियोजना को सन् 2000 तक पूरा किया जाना था। तथापि, परियोजना का पूरा होना उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका के निपटान, निधियों की उपलब्धता और नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार पक्षकार राज्यों द्वारा परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एंव पुनर्स्थापना उपायों के समरूप कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश सरकार ने बां को अधिकतम ऊंचाई के बारे में कुछ आपत्तियां कीं और 10.3.99 को उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया और इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है। तथापि, नर्मदा जल विवाद अधिकरण पंचाट के प्रेम वर्क के अंदर ही मैत्रीपूर्ण समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

Activitgies of Brahmaputra Board

2778. SHRI PARAG CHALIHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the details of activities of the Brahmaputra during the preceding three years; and

(b) details of amounts sanctioned and utilised during the said period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) During the years 1996-97, 1997-98 and 1998-99 Brahmaputra Board has completed two main Master Plans for Brahmaputra and Barak and its tributaries. These Master plans were approved by he Union Government in July, 1997. Apart from this, the Board has taken up preparation of Detailed Project Reports for 17 multipurpose projects, survey and